न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 02/2018

हरफुल उम्र 65 वर्ष पुत्र मंगलाराम जाति निवासी बिशनपुरा तहसील मलसीसर

आवेदक

बनाम

1. महावीरसिंह पुत्र खम्माराम जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील मलसीसर
2. रामगोपाल पुत्र खम्माराम जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील मलसीसर
3. इन्द्रापुत्री खम्माराम जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील मलसीसर
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चुड़ैला तहसील मलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिसाऊ तहसील मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 22.02.2022

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बिशनपुरा पटवारी हल्का चुड़ैला की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 219/46 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 47 रकबा 2.39 है0 व खसरा नम्बर 77 रकबा 0.06 है0 आवेदक की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए प्रार्थी प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में दर्शित ABCDE कदीमी रास्ते का उपयोग करता रहा है। उक्त रास्ता ABCDबिन्दू तक 12 फीट चौड़ा चालु हालत में है जो बिन्दू Dजहां खसरा नम्बर 55 में प्रवेश कर बिन्दू Eतक जाता है। खसरा नम्बर 55 के खातेदार ने बिन्दू D पर रास्ता बंद कर दिया है। इसके अतिरिक्त आवेदक के खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रास्ते की आतन्तिक आवश्यकता है। अन्त में प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 47 व 219/46 में आने–जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 55में नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु डी से ई तक 12 फीट रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य अनावेदकगण की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 व 2 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

के साथ सलंग्न नजरी नक्शे के अनुसार मौके पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा। खसरा नम्बर 63, 62, 61, 235/57 के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा खसरा नम्बर 56 में से आवेदक के खेत में जाने बाबत वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। अतः उक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता अनावेदक संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रस्तुत प्रकरण 251ए के अन्तर्गत न होकर धारा 251 के तहत होने से सुनवाई का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए खारीज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि धारा 251ए के तहत दर्ज प्रार्थना पत्र एक संक्षिप्त प्रकिया है जिसके लिये अनावश्यक रूप से अन्य पक्षकारान को पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है साथ ही प्रार्थी को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। जिसके लिये प्रार्थी डीएलसी दर से भुगतान करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार कर आवेदक को खेत खसरा नम्बर 47 व 219/46 में आने–जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 55में नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु डी से इ तक 12 फीट रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 07.09.2020 को अवलोकन किया गया तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि मौके पर खसरा नम्बर 62, 61 235/57में रास्ता निकल रहा है। खसरा नम्बर 55 में रास्ता बंद है। आवेदक खसरा नम्बर 55 के उतरी सीमा के सहारे–सहारे अपने खेत में जाता है। अतः ख0न0 55 में 180 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा रास्ता दिया जा सकता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधरी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

इनगत प्रकरण में आवेदक को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है है साथ ही न्यूनतम मार्ग दिये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में आवेदक द्वारा चाहा गया मार्ग 180 मीटर लम्बा होना बताया है। जो सलंग्न नजरी नक्शे के अनुसार लधुतम प्रतीत होता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 47 व 219/46 में आने–जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 55 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु डी से इ तक 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट) 22/2/22
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर